बिहार सरकार परिवहन विभाग

पत्रांक-02/विविध-14/2015 (पार्ट), परि० \585

पटना, दिनांक- 25/2/2020

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में.

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/बेतिया/मधुबनी/वैशाली/शेखपुरा/ सिवान/समस्तीपुर/रोहतास/सीतामढ़ी/शिवहर/ औरंगाबाद/कटिहार/बांका/मोतिहारी/नालंदा/ मधेपुरा/अररिया/खगड़िया/कैमूर/बक्सर/सहरसा।

विषय:- शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण ऑनलाईन जाँच परीक्षा के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक—293, दिनांक—10.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक—1139, दिनांक—06.02.2020 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण हेतु आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं। साथ ही ऑनलाईन जाँच परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले संरचनात्मक ढाँचा (Infrastructure) की व्यवस्था करने तथा दिनांक—12.02.2020 से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत किये जाने का निदेश निर्गत है। उपरोक्त के आलोक में इस विभाग से निर्गत पत्रांक—293, दिनांक—10.01.2020 के अनुसार मोटरयान निरीक्षक परीक्षा नियंत्रक होंगे एवं जिला परिवहन पदाधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक—27.02.2020 तक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण निश्चित रुप से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के माध्यम से किया जाय। इस हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का बैकलॉग समाप्त किया जाना आवश्यक है, तािक नयी प्रक्रिया के तहत् जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अपने जिलें में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) हेतु प्राप्त आवेदनों को एवं इससे संबंधित बैगलॉग को दिनांक—27.02.2020 के पूर्व समाप्त करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक—27.02.2020 से निश्चित रुप से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु विहित प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अन्0 :— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 02 / विविध—14 / 2015 (पार्ट), परि० 🔰 🕏

पटना, दिनांक:- 25/2/2020

प्रतिलिपि :– श्री राणा प्रताप, तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार, पटना / आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग,

बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

बिहार सरकार <u>परिवहन</u> विभाग

पत्रांक-02/विविध-14/2015 (पार्ट), परि० | 585

पटना, दिनांक- 25/2/2020

प्रेषक.

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में.

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/बेतिया/मधुबनी/वैशाली/शेखपुरा/ सिवान/समस्तीपुर/रोहतास/सीतामढ़ी/शिवहर/ औरंगाबाद/कटिहार/बांका/मोतिहारी/नालंदा/ मधेपुरा/अररिया/खगड़िया/कैमूर/बक्सर/सहरसा।

विषय:- शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण ऑनलाईन जाँच परीक्षा के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक—293, दिनांक—10.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक—1139, दिनांक—06.02.2020 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण हेतु आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं। साथ ही ऑनलाईन जाँच परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले संरचनात्मक ढाँचा (Infrastructure) की व्यवस्था करने तथा दिनांक—12.02.2020 से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत किये जाने का निदेश निर्गत है। उपरोक्त के आलोक में इस विभाग से निर्गत पत्रांक—293, दिनांक—10.01.2020 के अनुसार मोटरयान निरीक्षक परीक्षा नियंत्रक होंगे एवं जिला परिवहन पदाधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।

उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक—27.02.2020 तक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का निर्गमण निश्चित रुप से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के माध्यम से किया जाय। इस हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) का बैकलॉग समाप्त किया जाना आवश्यक है, तािक नयी प्रक्रिया के तहत् जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अपने जिलें में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) हेतु प्राप्त आवेदनों को एवं इससे संबंधित बैगलॉग को दिनांक—27.02.2020 के पूर्व समाप्त करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक—27.02.2020 से निश्चित रुप से ऑनलाईन जाँच परीक्षा के आधार पर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learning Licence) निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु विहित प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अन्0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

LL TEST PROCESS-OFFICE

-----Process to conduct Online LL Test------


a)Fetch Candidate For LL-Test:

To conduct the Online LLTest, first the candidate should be fetched and picked for LLTest.

- For this, Go to stall.
- Fetch Candidate For LL-Test .
- After fetching the candidate password will be sent to registered mobile number with sarathi.



Candidate can be fetched as shown in image.




b)Pick Candidate:

Candidate can be picked using Pick Candidate for LLTest.

Goto stall.

Pick Candidate for LLTest.


Enter application number and submit.



Click on confirm.




After confirmation of submitting the data, a PIN no. will be generated like below image.



c)Display LLTest Password:

To see the password.


- Go to stall.
- Display LLTest Password.




d)REPORT ON PIN NOS FOR LLTEST:

To see the candidates pin number.

- Go to stall
- REPORT ON PIN NOS FOR LLTEST.



Report will be generated like this with PIN number.



After passing the LL TEST exam, we can view LL Report under LL section.

Select LL option then select "LL print" and enter your application number. It will display like this.

